संख्या–1642–औ0सं0/2014–1–ए0एस0/14 दिनांक 27 मई, 2014

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को कानपुर।

विषय :–उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 की धारा–3 के अन्तर्गत अधिसूचना सं0–375/91–2013 दिनांक 27.11.2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक प्रकरण में उ0प्र0 शासन लोक सेवा प्रबन्ध अनुभाग की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मृतकाश्रित की नियुक्ति एवं विद्युत दुर्घटनाओं के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में किये जाने हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–686–औ0सं0/2014–1–ए0एस0/2014 दिनांक 28.02.2014 द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु परामर्शित किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्ध विभाग उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र सं0–221/91–2014 दिनांक 02.05.2014 द्वारा निर्देशित किया है कि अधिसूचना में शामिल सेवाओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुनरीक्षण अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी नामित कर सूचना लोक सेवा प्रबन्ध विभाग को उपलब्ध करायेंगे किन्तु नामित अधिकारियों की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं की जा सकी है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के समयबद्ध ढ़ंग से निस्तारण हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुनरीक्षण अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी 15 दिन के अन्दर नामित करते हुए कारपोरेशन के सूचनाधीन लोक सेवा प्रबन्ध विभाग को अवश्य अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(राधे मोहन)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–1642–औ0सं0/2014/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव (ऊर्जा)/श्री सुरेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः 2/–

4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।
5. समस्त उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. समस्त अपर सचिव (प्रथम)/संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
8. सचिव, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ0प्र0, 103–कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. कट फाइल।

(राधे मोहन)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)